रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270889
CG-DL-E-12032026-270889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947
No. 173] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

सा.का.नि. 179(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों संक्षिप्त नाम मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सहायक अनुभाग अधिकारी, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषा.** - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव अभिप्रेत है;

(ख) "उपलब्ध रिक्ति" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है जो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जानी अपेक्षित है;

(ग) “निर्णायक तारीख” से रिक्तियों के वर्ष की जनवरी मास की पहली तारीख अभिप्रेत है जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है;

(घ) “परीक्षा” से इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति मे सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ङ) “भर्ती वर्ष” से 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली और उसी वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(च) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में नियत हैं।

3. पात्रता की शर्तें – (1) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय में वरिष्ठ सचिवालय सहायक और आशुलिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.) में निर्णायक तारीख को पांच साल की नियमित सेवा के साथ, सीमित विभागीय परीक्षा मे बैठने के लिए पात्र होंगे। पात्र अधिकारी ने समय समय पर निर्धारित सुसंगत फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

4. परीक्षा का आयोजन- (1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की घोषणा करते समय परीक्षा की तारीख और स्थान तथा निर्धारित की गई उपलब्ध और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा।

(2) परीक्षा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीस दिन की समाप्ति के पश्चात आयोजित की जाएगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणि के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, यदि कोई हो, अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी।

5. परिणाम. - (1) परीक्षा के भाग 1 और भाग 2 में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर योग्यता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के नामों की एक योग्यता सूची, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों, यदि कोई हों, की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएगी ।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन के मानक समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।

(3) उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में आते हैं।

(4) योग्यता सूची अधिसूचित रिक्तियों को भरे जाने तक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन के तारीख से 18 मास की अवधि तक या उस समय तक प्रवृत रहेगी जब तक की अगली योग्यता सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, इनमे से जो भी पूर्वतर हो।

6. नियुक्ति – किसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची मे सम्मिलित किए जाने से ही उसे कोई नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह समाधान कर लेने के पश्चात की अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है और योग्यता सूची में उसके नाम, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं को विचार में लेने के पश्चात नियुक्त किया जाएगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय – समय पर कानूनी आदेशों या नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं ।

7. टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दायित्व - इस परीक्षा के आधार पर सहायक अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में नियुक्त अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि यदि उन्होंने टंकण परीक्षा पहले से उत्तीर्ण नहीं की है, तो वे अपने नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर केवल कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट न्यूनतम 35 शब्दों की गति से या हिंदी में प्रति मिनट 30 शब्दों की गति से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करें, (प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10,500 के डी पी एच / 9000 के डी पी एच के समरूप अंग्रेज़ी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट) उत्तीर्ण न किए जाने पर उन्हें तब तक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा, जब तक वे कथित परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं करते या उन्हें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबंधित नियमों के अधीन छूट नहीं दी जाती है।

8. पद त्याग, आदि पर योग्यता सूची से नाम हटाया जाना - (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जो परीक्षा में बैठने के पश्चात अपनी सेवा से पद त्याग करता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसे कसी काडर बाह्य पद पर या किस अन्य सेवा में नियुक्त किया जाता है और जिसका नियम 3 में वर्णित पद में से किसी पर धारणाधिकार नहीं है, उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है तो उससे उसका नाम काट दिया जाएगा।

(2) जहां कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम उक्त वरीयता सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से केन्द्रीय सरकार के अन्य काडर बाह्य पद या किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है और नियम 3 मे वर्णित किसी पद पर उसका धारणाधिकार बना राहत है, वहां उसे सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक की वह योग्यता सूची के प्रवृत रहने की अवधि के दौरान अपने मूल पद पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे अपना काम **पुनः प्रारंभ नहीं करता है:**

परंतु यह की प्रोफार्मा पदोन्नति के लिए उसके दावे पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों और नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

9. प्रतिरूपण या अन्य कदाचार के लिए शास्ति – कोई ऐसा अभ्यर्थी जो निम्नलिखित का दोषी है या उसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है -

(i) अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) प्रतिरूपण; या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण कराना; या

(iv) गढ़े गए दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना, जिसमे गड़बड़ी की गई हो; या

(v) ऐसे कथन करना, जो सही नहीं है या मिथ्या है या तात्विक जानकारी को छुपाते हैं ; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना; या

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या

(viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना; या

(ix) खंड (i) से खंड (viii) तक में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों के यथास्थिति सभी या कोई अन्य कार्य, करने का प्रयत्न करना या करने के लिए दुष्प्रेरित करना;

दांडिक कार्यवाही के अतिरिक्त, निम्नलिखित के दायित्वाधीन हो सकेगा –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाना; या

(ख) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई का किया जाना:

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन निम्नलिखित के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी -

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाए जो वह उस प्रयोजन से देना चाहता है; और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन को उसके द्वारा जारी की गई अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

10. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायत पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

परीक्षा निम्नलिखित दो भागों में संचालित की जाएगी, अर्थात्: -

भाग – 1

1. लिखित परीक्षा में अधिकतम 400 अंक होंगे। लिखित परीक्षा का विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आबंटित अधिकतम अंक और अनुज्ञात की गई समय सीमा निम्नानुसार होगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रश्न पत्र सं.	विषय	प्रश्न पत्र के प्रकार	अधिकतम अंक	समय
I	टिप्पण और प्रारूपण, सार लेखन।	व्याख्यात्मक	100	2 घंटे
II	भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और पद्धति। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और ई-कार्यालय।	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
III	भारत के संविधान और सरकार की मशीनरी का सामान्य ज्ञान, लोकसभा और राज्यसभा में प्रक्रिया और पद्धति ।	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
IV	सामान्य जागरूकता.	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे

2. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:

क. प्रश्न पत्र - I

टिप्पण, प्रारूपण और सार लेखन – अभ्यर्थियों से विनिर्दिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारूपण, सार या संक्षिप्त विवरण तैयार करना अपेक्षित है।

ख . प्रश्न पत्र - II

भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और अभ्यास - भारत सरकार सचिवालय और संबद्ध कार्यालयों में प्रक्रिया और पद्धति को ध्यान मे रखते हुए परीक्षा को गहन और व्यापक बनाने का आशय है। इन विषयों में सम्मिलित होंगे- (1) कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (नवीनतम संस्करण) (2) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया पर टिप्पणी (3) कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी संघ के कार्यालयी प्रयोजनार्थ हिन्दी के प्रयोग से संबंधी आदेशों की पुस्तिका (4) कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबंध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और (5) ई-कार्यालय।

ग. प्रश्न पत्र -III

भारत के संविधान का सामान्य ज्ञान और लोक सभा और राज्य सभा में सरकार की मशीनरी, पद्धति और प्रक्रिया – यह प्रश्न पत्र लोकसभा और राज्यसभा मे भारत के संविधान, सरकार की मशीनरी और प्रक्रिया के नियमों और कामकाज के संचालन में अभ्यर्थियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए बनाया गया है ।

घ. प्रश्न पत्र -IV

सामान्य जागरूकता. – इन प्रश्नों को भारत के संविधान, भारत के भूगोल, संस्कृति, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक के विषय में सामान्य जागरूकता संबंधी अभ्यर्थियों के ज्ञान का परीक्षण करने हेतु तैयार किया गया है ।

3. गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र मे) – वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा किए गए गलत उतर के लिए शास्ति (प्रतिकूल अंकन) होगा, जो निम्नानुसार है -

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसमे अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न के लिए नियत किए गए अंकों का एक-चौथाई (0.25) शास्ति के रूप में काटा जाएगा।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर के रूप मे माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही और उस प्रश्न के लिए ऊपर जैसी ही शास्ति होगी।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया गया है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है, तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं होगी ।

4. अभ्यर्थियों को टिप्पण, प्रारूपण और सारलेखन के प्रश्न पत्र – I का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प दिया जाता है । प्रश्न पत्र (II),(III) और (IV) का भी उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प दिया जाता है । सभी चारों प्रश्न पत्र या परीक्षा पुस्तिकाएं हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाएंगी।

टिप्पण 1: अभ्यर्थियों की हिन्दी (देवनागरी) में टिप्पण , प्रारूपण और सारलेखन के उत्तर के विकल्प के देने के इच्छुक वांछा आवेदन पत्र में ऐसा करने के अपने आशय को दर्शित करना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा की वे पूर्वोक्त प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी में देंगे । एक बार उपयोग किए जाने वाले विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा । अभ्यर्थी द्वारा चुनी गई भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा में परीक्षा के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।

टिप्पण 2: हिंदी (देवनागरी) में प्रश्न पत्र का उत्तर देने के विकल्प का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी, यदि वे ऐसी वांछा करते है, हिंदी संस्करण के अतिरिक्त, यदि कोई हो, तकनीकी शर्तों के विवरण के कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी संस्करण दे सकते हैं।

टिप्पण 3: यदि परीक्षा में उत्तर देने के लिए आवेदन पत्र मे अभयार्थियों द्वारा इंगित माध्यम से इतर माध्यम का चयन किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

5. भाग 1 में चार विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम आहर्ता अंक पैंतीस प्रतिशत होना चाहिए और कुल अंक पैंतालीस प्रतिशत होना चाहिए।

6. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक आबंटित नहीं किए जाएंगे।

7. वर्णनात्मक प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक का 5% तक की कटौती अस्पष्ट हस्तलेखन के लिए की जाएगी।

8. लिखित प्रश्न पत्र में, कम से कम शब्दों में साफ और सुव्यवस्थित अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

9. जहां तक किसी अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकार्यता और उसकी पात्रता का सम्बन्ध है वहां पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय, परीक्षा के लिए अन्यथा प्रवेश करने के लिए अंतिम होगा।

10. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी चार प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवश्यक है।

11. अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र – I, का उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय प्ररूप (अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

भाग - 2

1. वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रेपोर्टों का निर्धारण:-

(क) यह भाग अधिकतम 100 अंकों का होगा।

(ख) अभ्यर्थियों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का प्रोन्नति के लिए संगणित की गई सेवा अवधि हेतु संवीक्षा की जाएगी और तदनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अंक आबंटित किए जाएंगे ।

(ग) पदावास अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में न्यूनतम अहर्ता अंक सहायक अनुभाग अधिकारी के पद की प्रोन्नति के विहित किए गए मानक से काम नहीं होगा ।

2. पैरा 1 के उप-पैरा (ख) में निर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(1) वैज्ञानिक 'एफ', एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय - **अध्यक्ष**

(2) संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या समकक्ष स्तर अधिकारी, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय - **सदस्य**

(3) एक अवर सचिव उप निदेशक या समतुल्य स्तर के अधिकारी, एसटीक्यूसी निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से - **सदस्य**

[फा. सं. 02(07)/2025- पीए (टीए)]

एम. वेल्लईपांडी, महानिदेशक

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Standardisation Testing and Quality Certification Directorate)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

G.S.R. 179(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Assistant Section Officer in Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology, namely: -

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Assistant Section Officer, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition**. – In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) “appointing authority” means the Secretary to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology;

(b) “available vacancy” means a vacancy in the post of Assistant Section Officer’s grade in the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate Ministry of Electronics and Information Technology which is required to be filled up on the basis of the results of the examination;

(c) “crucial date” means the first day of January of the year of the vacancies for which such examination is held;

(d) “examination” means the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Assistant Section Officer held in the manner specified in the Schedule;

(e) “recruitment year” means the period commencing from the 1st day of January and ending on the 31st day of December of the same year;

(f) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(g) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the same meanings respectively as assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.

3. **Conditions of eligibility**. – Senior Secretariat Assistant in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology with five years regular service in the grade on the crucial date shall be eligible to appear in the

Limited Departmental Competitive Examination. The eligible officer should have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time.

4. **Holding of the examination**. – (1) The appointing authority shall notify the dates and place of the examination and number of available and anticipated vacancies assessed at the time of announcing the examination.

(2) The examination shall be conducted after the expiry of at least thirty days from the date of notifying the vacancies in the manner specified in the Schedule.

(3) The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person, if any, shall be clearly indicated in the notification.

5. **Results**. – (1) On the basis of the aggregate marks secured by the candidate in Part I and II of the examination, a merit list containing the names of the successful candidates in order of merit shall be notified, keeping in view the number of vacancies and anticipated vacancies, if any, falling in the recruitment year.

(2) The standards of evaluation for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be as per the Government instructions from time to time.

(3) The candidates for appointment against the available vacancies shall be considered in the order in which their names appear in the merit list prepared under sub-rule (1).

(4) The merit list shall remain in operation till the notified vacancies are filled up or upto a period of 18 months from the date of its approval by the appointing authority or till next merit list is approved by the appointing authority, whichever is earlier.

6. **Appointment**. – The inclusion of the name of any candidate in the merit list shall not confer a right to appointment and he shall be appointed by the Appointing Authority only after satisfying itself that no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the candidate and after taking into account his placement in the merit list, the reservation of posts or such other requirements as may be laid down by statutory orders or rules issued by the Central Government, from time to time, in this regard.

7. **Liability to pass typewriting test.** – The candidates, who are appointed to the Assistant Section Officers' Grade on the basis of this examination, shall be required to pass a test in typewriting, if not already done, at a minimum speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi only on computer (35 w.p.m and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) within a period of one year from the date of their appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test or exempted under the relevant rules with the approval of Competent Authority.

8. **Removal of name from merit list on resignation, etc**. – (1) In case a candidate after appearing at the examination resigns from the service or whose services are terminated or who is appointed to an ex-cadre post or to any other service and does not have a lien on any post mentioned in rule 3, his name shall not be included in the merit list, or if included in the said merit list shall be struck off therefrom.

(2) Where a candidate, whose name is included in the said merit list, is appointed to an ex-cadre post or is transferred to another Department of the Central Government with the permission of the appointing authority and continue to have a lien on any post mentioned in rule 3, shall not be appointed as Assistant Section Officer till he resumes the duties in the Ministry of Electronics and Information Technology on his initial post during the period the merit list remains in force:

Provided that his claim for proforma promotion may be considered by the appointing authority in accordance with the orders and rules of the Central Government, issued in this behalf from time to time.

9. **Penalty for impersonation or other misconduct.** – A candidate, who is or has been declared by the appointing authority to be guilty of –

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonation; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means in the examination hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Ministry of all or any of the acts specified in clauses (i) to (viii);

may, in addition to the criminal proceedings, liable –

(a) to be disqualified by the appointing authority from the examination; or

(b) to disciplinary action, under the appropriate rules:

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

10. **Power to relax**. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(See rule 4)

The examination shall be conducted in the following two parts, namely: -

Part I

1. Written examination shall carry a maximum of 400 marks. The subject of the written examination, the maximum marks allotted to each paper and the time limit allowed shall be as follows, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Paper No.	**Subject**	**Type of Paper**	**Maximum Marks**	**Time**
I	Noting and Drafting, Precis Writing.	Descriptive	100	2 hours
II	Procedure and Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and e-office.	Objective	100	2 hours
III	General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government Practice and Procedure in Lok Sabha and Rajya Sabha.	Objective	100	2 hours
IV	General Awareness.	Objective	100	2 hours

2. Syllabus for examination:

A. Paper-I

Noting, Drafting and Precis Writing. - Candidates to prepare notes and drafts on specific problems, a passage may also be set for making out a precis or summary.

B. Paper-II

Procedure and Practice in the Government of India Secretariat and Attached Offices. - This is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. The subject will cover – (1) Manual of office procedure (latest edition) (2) Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management (3) Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Personnel, Public

Grievances & Pensions, Department of Personnel and Training (4) The Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and (5) e-office.

C. Paper-III

General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Lok Sabha and Rajya Sabha. – This paper is designed to test the candidate's knowledge of the Constitution of India, Machinery of Government and Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha.

D. Paper-IV

General Awareness. - Question will be aimed at testing the candidate's knowledge of general awareness about the Indian Constitution, Indian Geography, Culture, Economic Scene, General Policy, Scientific research and National and International Current Affairs.

3. **Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers). -** There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in the objective question papers as under-

(i) There will be four alternatives for the answer to every question and for each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Candidates are allowed the option to answer the Paper-I Noting and Drafting, Precis writing either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper-II, III and IV are also allowed the option to answer either in Hindi or in English. All the four question papers or test booklets will be set both in Hindi and English.

Note 1: Candidates desirous of exercising the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper in Hindi (Devnagari) should indicate their intention to do so in the application form otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for change shall be entertained later on. No credit shall be given for examination taken in a language other than the one opted for by the candidate.

Note 2: Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Note 3: If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

5. The minimum qualifying marks in each of the four subjects in Part I should be thirty-five per cent, and aggregate marks should be forty-five per cent.
6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.
7. Deduction upto 5 percent. of the maximum marks in the descriptive paper will be made for illegible handwriting.
8. Credit will be given for neat and methodical expression of ideas with due economy of words, in the descriptive paper.
9. The decision of the Central Government with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.
10. Appearance of candidates in all the four papers is a must for qualifying in the examination.
11. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1,2,3,4,5,6 etc.) while answering paper-I.

Part II

1. Assessment of Annual Performance Appraisal Reports:-

(a) This part shall carry a maximum of 100 marks.

(b) The Annual Performance Appraisal Reports of the candidates shall be scrutinised for the service period reckoned for promotion and marks will be accordingly allotted by the Departmental Promotion Committee.

(c) The minimum qualifying marks in the Annual Performance Appraisal Reports of each year during the residency period will not be lower than the benchmark prescribed for promotion to the post of Assistant Section Officer.

2. The Departmental Promotion Committee referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 shall consist of the following person, namely:-

(1) Scientist 'F', STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology	- Chairperson;
(2) The Joint Director or Deputy Director or equivalent level officer, STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology	- Member;
(3) One Under Secretary or Deputy Director or equivalent level officer, from a Ministry or a Department other than STQC Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology	- Member.

[F. No. 02(07)/2025-PA (TA)]

M. VELLAIPANDI, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA